राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–1507/2014/बीकानेर

1. मुन्नीदेवी पत्नि जगदीश प्रसाद तापडिया, निवासी हनुमान मंदिर के पास नौखा, जिला–बीकानेर ...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक नौखा जिला बीकानेर
2. रामदयाल पुत्र रामजीवण कच्छावा निवासी बंगाली मंदिर के पीछे रानीबाजार जिला–बीकानेर ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री बद्रीप्रसाद
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्राथीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.03.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थीया द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 30.07.2014 एवं 01.07.2014 प्रकरण संख्या क्रमशः 12/2014 व 61/2014 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आंतरिक लेखा जांच दल द्वारा उपपंजीयक नौखा के अंकेक्षण के दौरान दस्तावेज संख्या 1078 दिनांक 07.02.2012 को कमी मालियत माना। इस आधार पर प्रार्थीया को कमी राशि 1,31,740/– रुपये जमा कराने हेतु धारा 54 का नोटिस दिये जाने के उपरान्त नियत समय में राशि जमा नहीं कराये जाने पर कमी राशि मय शास्ति वसूली हेतु उपपंजीयक ने रेफरेन्स कलक्टर मुद्रांक में यहां पर पेश किया गया। रेफरेंस आंतरिक लेखा जांचदल के इस आक्षेप पर आधारित था कि दस्तावेज की क्रयशुदा सम्पति नौखा जोन संख्या–1, मांगीलाल बागडी, फोरेस्ट नर्सरी, नार्थ इंडिया केबल्स, जयराम मील के पास स्थित है जिससे पंजीयन विभाग के परिपत्र संख्या 1/2009 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार व्यवसायिक परिसर की पंक्ति में होने पर व्यवसायिक दरों से मूल्यांकन किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने क्रेता व विक्रेता को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किये परन्तु किसी भी पक्षकार द्वारा उपस्थित नहीं आने पर कलक्टर मुद्रांक बीकानेर ने एक पक्षीय निर्णय पारित करते हुये अपने निर्णय दिनांक 01.07.2014 के द्वारा कमी मुद्रांक कर 97,580/–रुपये, सरचार्ज 9,760/– रुपये, शुल्क 24,400/– रुपये एवं पक्षकार द्वारा मुद्रांक करावंचना के उद्धेश्य से तथ्य छुपाये जाने के कारण शास्ति 68,260/– रुपये आरोपित करते हुये कुल 2,00,000/– रुपये प्रार्थीया से वसूल किये जाने का आदेश दिनांक 01.07.2014 को पारित

लगातार.....2

किया, जिसके विरुद्ध प्रार्थीया ने एक रिव्यू प्रार्थना पत्र कलक्टर मुद्रांक के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30.07.2014 के द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थीया यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रेकार्ड व अप्रार्थीगण का तलब किया गया। अप्रार्थीसंख्या 1 कर ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। देय मुद्रांक कर का दायित्व प्रार्थीया क्रेता का होने व अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध कोई अनुतोष वांछित नहीं होने के कारण इसी स्तर पर प्रकरण के अंतिम निस्तारण हेतु बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया की ओर से कथन किया गया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में प्रार्थीया को रजि0ए0डी0 नोटिस भेजे जाने व उसके एक माह की अवधि होने के आधार पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये है जबकि उक्त रजि0ए0डी0 नोटिस कभी भी प्रार्थीया को प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई सूचना प्रार्थीया को प्राप्त हुई फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रार्थीया को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये ही एकतरफा आदेश पारित कर भारी भूल की है। विद्वान अदालत ने प्रार्थी को बिना विधिवत नोटिस दिये एवं बिना समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदन किये ही सरसरी तौर पर एकतरफा निर्णय प्रदान किया गया है जो कि न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विद्वान अदालत ने बिना किसी प्रकार की जांच किये एवं बिना किसी प्रकार कर स्थल निरीक्षण किये ही सरसरी तौर पर निगरानीधीन निर्णय प्रदान किया जो कि नियम–66ए मुद्रांक अधिनियम के प्रावधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया किया कि आंतरिक लेखा जांच दल ने अंकेक्षण धारा दस्तावेज संख्या 1076 दिनांक 07.02.2012 को भी मालियत माना है जबकि उक्त दस्तावेज कतई कमी मालियत पर नहीं है और न ही वेल्यू जोन संख्या 1 के बिन्दु 9 में व्यावसायिक दर से मूल्यांकन उचित है समस्त आदेश बिना किसी जांच के मनमर्जी से बोले बिना प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये पारित किया है जबकि उक्त विक्रित परिसर कतई व्यावसायिक परिसर की पंक्ति में नहीं बल्कि आवासीय परिसर की पंक्ति में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवा सकता था, किन्तु ऐसा नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित करने में भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरण में रेफरेंस आंतरिक लेखा जांचदल के इस आक्षेप पर आधारित था कि दस्तावेज की क्रयशुदा सम्पति नौखा जोन संख्या–1, मांगीलाल बागडी, फोरेस्ट नर्सरी, नार्थ इंडिया केबल्स, जयराम मील के पास स्थित है जिससे पंजीयन विभाग के परिपत्र संख्या 1/2009 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार व्यवसायिक परिसर की पंक्ति में होने पर व्यवसायिक दरों से मूल्यांकन किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 01.07.2014 में आंतरिक लेखा जांच दल के उपरोक्त आक्षेप के आधार पर रेफरेंस यथावत स्वीकार किया है।

लगातार.....3

8. निगरानीकर्ता का निगरानी में मुख्य आधार यह है कि मात्र आंतरिक लेखा जांच दल के अंकेक्षण आक्षेप के आधार पर प्रस्तुत रेफरेंस को यथावत स्वीकार किया है जबकि वास्तव में संपत्ति व्यावसायिक परिसरों की पंक्ति में स्थित नहीं है। यह संपति आवासीय क्षेत्र में है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेंस के संबंध में ना कोई जांच की है व न ही स्थल निरीक्षण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई कारण व विवेचना करते हुये रेफरेंस स्वीकार किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन निर्णय दिनांक 01.07.2014 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेंस के संबंध में न कोई जांच की है व न ही स्थल निरीक्षण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई कारण व विवेचना किये हुये रेफरेंस स्वीकार किया है। अंकेक्षण दल अपनी निरीक्षण रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर तैयार करते है। बिक्रीत संपत्ति के मौके की स्थिति के संबंध में सही दृश्य मौका निरीक्षण से ही संभव है जिसका प्रावधान राजस्थान मुद्रांक नियम 2003 के नियम 65(4)(IV) में है। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे उपरोक्त नियम 65 के अन्तर्गत रेफरेंस के तथ्यों के संबंध में जांच करते व रेफरेंस के तथ्यों को स्वीकार करने के संबंध में कारणों व विवेचना सहित निर्णय पारित करते। दस्तावेज पंजीयन दिनांक 07.02.2012 है तथा अब इतने लंबे समय पश्चात मौका निरीक्षण व्यावहरिक नहीं है क्योंकि इतनी लम्बी अवधि के दौरान मौके की स्थिती में परिवर्तन संभाव्य है। अंकेक्षण दल ने दस्तावेज की क्रयशुदा सम्पति नौखा जोन संख्या–1, मांगीलाल बागडी, फोरेस्ट नर्सरी, नार्थ इंडिया केबल्स, जयराम मील के पास स्थित होने के आधार पर व्यवसायिक मानने का आक्षेप लिया है। यदि आवासीय क्षेत्र में किन्ही परिसरों में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हो तो इस आधार पर सम्पूर्ण क्षेत्र को व्यावसायिक नहीं माना जा सकता। जहां तक यह संपति व्यवसायिक परिसरों की पंक्ति में स्थित होने का बिन्दु है प्रथम तो रेफरेंस में न तो यह स्पष्ट है कि इस संपति से चिपते हुये कौनसे व्यवसायिक परिसर है व द्वितीय व्यावसायिक पंक्ति का बिन्दु तभी न्यायोचित है जब उस संपत्ति के आस पास सघन वाणिज्यिक गतिविधियां हो। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न तो राजस्थान मुद्रांक नियम 2003 के नियम 65 की पालना में रेफरेंस के तथ्यों की जांच की है व न ही रेफरेंस के तथ्यों को स्वीकार करने के संबंध में कारण व विवेचना सहित निर्णय पारित किया है। बिक्रीत संपति व्यवसायिक परिसरों की पंक्ति में स्थित होने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 01.07.2014 निरस्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य